

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या:- 119/23

वायर दिनांक:- 03.07.2023

जीसीएमएस नं. 2023/234

उनवान

बजरंगी पुत्र रामरूप जाति जाट निवासी खीपकापुरा तहसील सूरौठ जिला करौली
राजस्थान

—वादी

बनाम

फतेसिंह पुत्र रेती जाति जाट निवासी खीपकापुरा तहसील सूरौठ जिला करौली
राज0

—प्रतिवादीगण-18

दावा बाबत इन्द्राज दुरस्ती, घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 25/7/24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 136, 88, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 28.07.2023 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे हैं। वादीगण एवं वादीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 119/23 बजरंगी बनाम फतेसिंह आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली